[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या:- 41/2017-सीमा शुल्क(गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ) – सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क के तहत और धारा 94 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 131/2016- सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. 1018(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) अध्याय- 7, टैरिफ मद 0713 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“**0713**	**दाल वाली शुष्क सब्जियां, छिलके सहित, चाहे छिली न हो या बिखरी हो**					
071301	गुआर गम रिफाइंड स्पलिट	मेट्रिक टन	0.75%	1276	0.1%	170.1
071399	अन्य		1%		0.15%”;	

(ii) अध्याय – 11 में, टैरिफ 1106 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“**1106**	**दाल वाली भाष्क सब्जियों का चूर्ण आहार और पाउडर जो शीर्ष 0713 के अंतर्गत आते है ,साबूदाना या मूल या कन्द के जो शीर्ष 0714 के अंतर्गत आते है या अध्याय-8 के उत्पाद।**					
110601	गुआर मील	मेट्रिक टन	0.75%	1276	0.1%	170.1
110699	अन्य		1%		0.15%”;	

(iii) अध्याय-13 में, टैरिफ मद 130201 के समक्ष, कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “गुआर गम का” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

[फा. सं. 609/28/2017-डीबीके]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 131/2016- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को सा.का.नि. 1018 (अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 12 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 12 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।